न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 05/2019

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 महावीर जैन पुत्र ओमप्रकाश जाति जैन निवासी जैन कॉलोनी, गोटन तह. मेडतासिटी। फर्म–रूपा किराणा स्टोर, जेके रोड, गोटन। 2नवरतनमल जैन पुत्र ओमप्रकाश जाति जैन निवासी जैन कॉलोनी, गोटन तह. मेडतासिटी। फर्म–रूपा किराणा स्टोर, जेके रोड, गोटन। 3इन्द्रचंद सिखवाल पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी सिखवालो का मोहल्ला, गोटन तह. मेडतासिटी। फर्म–लक्ष्मीनारायण पुरूषोत्तम, मैन बाजार, गोटन 4जितेन्द्र परिहार पुत्र मोहनलाल निवासी कुम्हारों का बास, खादी भवन के पास, फलोदी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर। फर्म–श्री राधे केम फूड, अग्रवाल हाउस, अग्रवाल कॉलोनी, न्यू रोड, फलोदी जिला जोधपुर। 5श्री राधे केम फूड, प्लॉट नं. (12)–399 (30)–380(38)–372 मालार रिन, फलोदी जिला जोधपुर।

दिनांक :20.01.2025

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 27-01-2018 को मैसर्स रूपा किराणा स्टोर, गोटन तहसील मेडतासिटी पर खाद्य पदार्थ नमक (महाकोष हैल्थ प्लस) मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 948 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/57/एक्ट/2018/75 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ नमक (महाकोष हैल्थ प्लस) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण महावीर जैन पुत्र ओमप्रकाश जाति जैन निवासी जैन कॉलोनी, गोटन तहसील मेडतासिटी, नवरतनमल जैन पुत्र ओमप्रकाश जाति जैन निवासी जैन कॉलोनी, गोटन तहसील मेडतासिटी, इन्द्रचंद सिखवाल पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी सिखवालों का मोहल्ला, गोटन तहसील मेडतासिटी, जितेन्द्र परिहार पुत्र मोहनलाल निवासी कुम्हारों का बास, खादी भवन के पास फलोदी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर तथा श्री राधे केम फूड, प्लॉट नम्बर (12)–399 (30)–380 (38)–372 मालार रिन, फलोदी जिला जोधपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 10-12-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता ने दिनांक 07.03.2019 वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ नमक जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 03 ने अप्रार्थी संख्या 4 से उक्त नमक खरीदा, उक्त मिसब्राण्ड होने का जिम्मेदार निर्माता अप्रार्थी संख्या 4 व 5 है। उक्त प्रकरण से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को दोष मुक्त करवाने निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/57/एक्ट/2018/75 दिनांक 08.02.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ नमक (महाकोष हैल्थ प्लस) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस

20/1/25

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 महावीर जैन पुत्र ओमप्रकाश जाति जैन निवासी जैन कॉलोनी, गोटन तहसील मेडतासिटी, अप्रार्थी संख्या 02 नवरतनमल जैन पुत्र ओमप्रकाश जाति जैन निवासी जैन कॉलोनी, गोटन तहसील मेडतासिटी पर संयुक्त रूप से रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 03 इन्द्रचंद सिखवाल पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी सिखवालों का मोहल्ला, गोटन तहसील मेडतासिटी पर संयुक्त रूप से रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 04 जितेन्द्र परिहार पुत्र मोहनलाल निवासी कुम्हारों का बास, खादी भवन के पास फलोदी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर तथा अप्रार्थी संख्या 05 श्री राधे केम फूड, प्लॉट नम्बर (12)–399 (30)–380 (38)–372 मालार रिन, फलोदी जिला जोधपुर पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, कुल रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपय शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/1/25

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)